इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली छूट की शर्तें तय

लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर मिलने वाले छूट की शर्तें तय कर दी गई हैं। इस बाबत परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने परिहवन आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति 2022 में विहित क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए शर्त तय कर दी गई हैं।

शर्तों में तय हुआ है कि छूट प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अधिसूचना की तिथि के बाद जिन्होंने यूपी में ईवी की खरीद या पंजीकरण कराया हो उन्हें ही छूट मिलेगी। दोपहिया ईवी पर अधिकतम पांच हजार रुपये प्रति वाहन तक की सीमा तक छूट दी जाएगी। यह छूट पहले 25000 दोपहिया पर दी जाएगी। इसी तरह गैर सरकारी ईवी बसों को अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति वाहन या कीमत का अधिकतम 15 प्रतिशत दिया जाएगा। यह छूट 400 बसों को दी जाएगी। वहीं शुरुआती 1000 व्यावसायिक वाहनों के लिए एक लाख रुपये प्रति वाहन या फैक्टरी कीमत का दस प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी केवल एक ही दोपहिया या चार पहिया, ईबस, ईगुड्स पर मिलेगी। ब्यूरो